

/नियम - 5 देखे/

पेशन/संवितरण प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख

(बैंक/डाकघर/कोषगार/लेखा अधिकारी आदि का नाम।)
स्थान.....

मैं, | इसके द्वारा बकाया भुगतान के नियम 5 के तहत नीचे नामित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ (पेशनभोगी का नाम बड़े अक्षरों में)

यदि नामिती अवयस्क है		पेशनभोगी के साथ संबंध जन्मतिथि	यदि अन्य नामिती व्यक्ति की पेशनभोगी से पहले मृत्यु हो जाती है तो अन्य नामित व्यक्ति का नाम और पता प्राप्त कर सकता है	यदि अन्य नामिती व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान उक्त पेशन ग्राप्त कर सकता है	यदि अन्य नामिती व्यक्ति का नाम और पता जो अन्य नामिती व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान पेशन ग्राप्त कर सकता है			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान :
दिनांक :

गवाहः:
हस्ताक्षर:

नाम एवं पता:
पेशन संवितरण प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

पेशन संवितरण प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा भेजी जाने वाली पावती प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन/नामांकन.....(पेशनभोगी का नाम) से प्राप्त हो गया है, जिसका पता.....है।

स्थान :
दिनांक :

पेशन/संवितरण अधिकारी/बैंक/कोषगार/डाकघर/लेखा अधिकारी/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
पूर्ण पता: